1

न्यायालय मे अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश राजस्व मण्डल, ग्वालियर म0प्र0

(30)

R. 846 II/12

श्यामसुन्दर पिता चरकू अहीर निवासी ग्राम हर्री थाना–शहडोल, तहसील – सोहागपुर, जिला – शहडोल म0प्र0 ——— निगरानीकर्ता

बनाम

रघुनाथ यादव पिता श्री शिवभान यादव निवासी ग्राम हर्री थाना–शहडोल, तहसील – सोहागपुर, जिला – शहडोल म0प्र0 ——— उत्तरदाता

श्री प्रदीप श्रीवास्तव अभि० द्वारा आज दि 7-4-2012 को प्रस्तुत
7-4-12
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय कलेक्टर महोदय शहडोल के प्रकरण कमांक 17/निगरानी/2009–2010 आदेश दिनांक 28.02.2012, निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959

महोदय,

प्रार्थी/निगरानीकर्ताकी ओर से निम्नानुसार अपील पेश कर सादर विनय है :–

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि– निगरानीकर्ताग्राम हर्री का निवासी है तथा खेती किसानी का काम करता है । ग्राम हर्री, पटवारी हल्का जमुई, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल म0प्र0 स्थित आराजी खसरा नं0 578 रकवा 9.40 एकड़ म0प्र0 शासन की आराजी है, जिसके अंश रकवा 2.023 हेक्टेयर पर निगरानीकर्ताका पिता के समय से कब्जा था तथा कब्जे के आधार पर वर्ष 1991–92 में जरिये राजस्व प्रकरण कमांक– 39/अ–19(4) 1991–92, में विशेष व्यवस्थापन के तहत निगरानीकर्ताके कब्जे के आधार पर, निगरानीकर्ताके नाम पर व्यवस्थापन किया गया । व्यवस्थापन की विधिवत कार्यवाही होने के बाद उपरोक्त विवरण की आराजी के राजस्व रिकार्ड मे बतौर भूमिस्वामी निगरानीकर्ताका नाम दर्ज हुआ जो कि आज भी दर्ज है तथा निगरानीकर्ताअनवनरन उपरोक्त आराजी पर काविज दखील होकर खेती कास्तकारी करवा रहा है ।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 846–दो/2012 जिला–शहडोल

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12–1–17	आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री प्रदीप श्रीवास्तव उपस्थित। अनावेदक की ओर से अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव उपस्थित। 2/ आवेदक अभिभाषक द्वारा न्यायालय कलेक्टर, शहडोल के प्र0क्र0 17/निग0/09–10 में पारित आदेश दिनांक 28.02.2012 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता अधिनियम 1959 की धारा–50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है । 3/ आवेदक एवं अनावेदक अभिभाषकों के तर्क श्रवण किये गये । आवेदक ने तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अनावेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी अवधि बाधित थी, जिस पर निगरानीकर्ता के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 13.09.2011 को आपत्ति भी प्रस्तुत की गई थी, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने गंभीरता से विचार किये बिना ही आदेश पारित किया है। आवेदक तथा अनावेदक एक ही परिवार के है इस कारण उक्त व्यवस्थापन आदेश की भली–भांति जानकारी रघुनाथ यादव को व उसके परिवार को भूमि के व्यवस्थापन आदेश की कोई अपील नहीं की गई और जब निगरानीकर्ता उक्त भूमि को काफी श्रम व पूंजी लगाकर	

कृर्षि योग्य बनाया तब अनावेदक के द्वारा आवेदक को क्षति कारित करने के लिये रंजिशन निगरानी पेश किया है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में वर्ष 2011 में संशोधन किया गया जो कि सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में दिनांक 30.12.2011 लागू है जिसके अनुसार धारा 50 में संशोधन किया गया है, जिसके अनुसार कलेक्टर को निगरानी सुनने की अधिकारिता नहीं है। सिर्फ किसी भी आवेदन पर निगरानी राजस्व मण्डल को ही की जा सकती है और अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.02.2012 को आदेश पारित किया है जो कि संशोधन प्रभावशील होने के बाद आदेश जारी किया गया है। उन्होंने ने यह भी तर्क दिया कि उक्त आराजी के संबंध में व्यवहारवाद क्रमांक 16ए/2010 माननीय व्यवहार न्यायालय शहडोल में लंबित है, जिसमें दिनांक 29.06.2010 को आवेदक के पक्ष में तथा उत्तरदाता के विरूद्ध स्थंगन आदेश पारित किया गया है। उक्त व्यवहारवाद में म0प्र0 शासन भी पक्षकार है। नियमानुसार व्यवहार न्यायालय के अंतिम निराकरण के पूर्व कोई भी आदेश पारित करने की अधिकारिता अधीनस्थ न्यायालय को नहीं थी, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने व्यवहार न्यायालय के आदेश की अवमानना करते हुये विधि के विपरीत आदेश जारी किया है। भूमिस्वामी दखलकार अधिनियम 1984 के अधीन आवेदक को राज्य शासन के द्वारा व्यवस्थापन का पट्टा प्रदान किया गया है, इसके बाद यदि उसी वाद भूमि से संबंधित भविष्यगामी विवाद उत्पन्न होता है तो वह मात्र भूमिस्वामी व राज्य शासन के मध्यही होगा, किसी अन्य व्यक्ति का कोई औचित्य नहीं होता है और न ही किसी भी वरिष्ठ न्यायालय को प्रकरण से संबंधित हितबद्ध

पक्षकारों के अलावा अन्य व्यक्ति को सुने जाने का कोई अधिकार ही है। इस तथ्य पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं किया है। अंत में आवेदक के अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश निरस्त करते हुये, निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।

4/ अनावेदक के अभिभाषक द्वारा प्रतिउत्तर में तर्क प्रस्तुत किया कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में आवेदक माननीय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 शहडोल के द्वारा जरिये प्रकरण क्रमांक 4ए/2011 आदेश दिनांक 15.05.2015 को आवेदक के पक्ष में तहसीलदार सोहागपुर, जिला–शहडोल म0प्र0 द्वारा किया गया व्यवस्थापन दिनांक 30.12.1991 विधिवत न होने के कारण निरस्त किया जावे। व्यवहार न्यायालय का आदेश राजस्व न्यायालय पर बंधनकारी है। इस कारण व्यवहार न्यायालय के आदेश के तारतम्य में आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रकरण को इसी स्तर पर समाप्त किया जाना न्यायहित में उचित एवं आवश्यक है। अंत में अनावेदक के अधिवक्ता ने प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 शहडोल के आदेश दिनांक 15.05.2015 के पालन में आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रकरण को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया है।

5/ प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया, जिसमें यह प्रकट होता है कि आवेदक द्वारा दिनांक 08.10.91 को तहसीलदार सोहागपुर के न्यायालय में आवेदन–पत्र पेश किया गया कि ग्राम हर्री की शासकीय आराजी खसरा क्र0 578 रकबा 2.023 है0 पर उसका पुस्तैनी कब्जा दखल है । वह कृषि है। अतः

उक्त भूमि उसके नाम व्यवस्थापित की जाये। तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण विधिवत पंजीबद्ध किया जाकर दिनांक 30.12.91 द्वारा उक्त आराजी आवेदक श्यामसुन्दर के नाम दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना, अधिनियम 1984 के तहत व्यवस्थापन स्वीकार किया गया । अनावेदक द्वारा व्यवस्थापन आदेश की जानकारी होने पर निगरानी अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की गई साथ धारा 5 म्याद अधिनियम का आवेदन भी पेश किया गया । किन्तु आवेदक द्वारा उक्त आवेदन का खण्डन न किये जाने से प्रकरण समय सीमा में मान्य किया गया । अनावेदक एक ही गांव के निवासी होने और वादग्रस्त आराजी सार्वजनिक निरस्तार की भूमि होने से अनावेदक भी हितबद्ध पक्षकार है। आवेदित आराजी छोटे झाड़ का जंगल मद में दर्ज अभिलेख रही है जो वर्ष 1978–79 में चारागाह हेतु सुरक्षित की गई है। अनावेदक द्वारा वर्ष 1974–75 से 1978–79 एवं 1984–85 से 1988–89 के खसरा की नकल पेश की गई है, जिसमें अनावेदक का कब्जा होना नहीं पाया गया तथा आराजी छोटे झाड़उ का जंगल मद में दर्ज है। खसरे के अवलोकन से प्रश्नाधीन आरीजी पर आवेदक का कब्जा दर्ज होना नहीं पाया जाता है तथा प्रश्नाधीन आराजी छोटे झाड़ का जंगल मद में दर्ज रही है, जिसका व्यवस्थापन नहीं किया जा सकता । वादग्रस्त आराजी वर्ष 1978–79 में सार्वजनिक निस्तार हेतु चारागाइ के रूप में दर्ज की गई है। सार्वजनिक निस्तार की भूमि का भी व्यवस्थापन उक्त अधिनियम के तहत प्रतिवंधित है। छोटे झाड़ का जंगल दर्ज होने से वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधान

लागू होने से उक्त आराजी का व्यवस्थापन नहीं किया जा सकता है। प्रकरण के तथ्यों पर विचारोपरांत कलेक्टर, शहडोल ने प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार किया है तथा तहसील न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.12.91 को अपास्त किया है।

6/ उपरोक्त विवेचना के प्रकाश अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर, शहडोल का आदेश दिनांक 28.02.2012 स्थिर रखा जाता है तथा आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी ठोस आधार के आभाव में निरस्त की जाती है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य